अनुसूची 14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

02.07.2016

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल

नयी शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 179/डी0एम0/2015

आदेश

श्री राजेश चन्द्र, पिता–श्री कृष्णदेव सिंह, सा0–सोनभद्र, पो0–सोनभद्र, थाना–वंशी, जिला–अरवल द्वारा एक एन0पी0बोर रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2015 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर **दिनांक 02.07.2016 को तिथि निर्धारित की गई।**

निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे पत्रकारिता से जूड़ें हैं तथा वर्तमान में वे अपने स्थाई निवास स्थान पर ही रहकर पत्रकारिता करते हैं। सुनवाई के वक्त आवदेक द्वारा बतलाया गया कि वंशी क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है तथा पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण इन्हें समय–कुसमय बाहर आवागमन करना पड़ता है, जिसके कारण वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। आवेदक द्वारा विगत दिनों पत्रकारों की **हत्या/उनपर जानलेवा हमला** की घटना घटित होने के कारण का भी उल्लेख पत्रकार की सुरक्षा मुहैया कराने की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया तथा उनके द्वारा अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु एन0पी0बोर **रिवॉल्वर/पिस्टल** की अनुज्ञप्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, अरवल के पत्रांक 77/गो0 शस्त्र दिनांक 15.03.2015 द्वारा आवेदक **श्री राजेश चन्द्र, पिता–श्री कृष्णदेव सिंह, सा0–सोनभद्र, पो0–सोनभद्र, थाना–वंशी, जिला–अरवल** का एन0पी0 बोर रिवॉल्वर हेतु आवेदन पत्र जॉचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। आवेदक का पेशा पत्रकारिता, कृषि एवं अधिवक्ता अंकित है तथा सभी श्रोतों से कुल आय 1,98,360/– रूपये मात्र अंकित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल द्वारा थानाध्यक्ष, वंशी के अग्रसारण के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित करते हुए अग्रसारित किया गया है।

अनुसूची 14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन एवं हाल में पत्रकारों के साथ हुए दुर्घटना के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने सुरक्षा एवं जान–माल के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन तथा उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री राजेश चन्द्र, पिता–श्री कृष्णदेव सिंह, सा0–सोनभद्र, पो0–सोनभद्र, थाना–वंशी, जिला–अरवल को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु संपूर्ण ...मगध प्रमंडल... क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवॉल्वर शस्त्र की अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश चन्द्र को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टी करने के उपरांत उक्त अनुज्ञप्ति पुस्तिका प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

2/7/16

जिला दंडाधिकारी, अरवल

2/7/16

जिला दण्डाधिकारी, अरवल